



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102023-249272
CG-DL-E-09102023-249272

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 573]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 9, 2023/आश्विन 17, 1945

No. 573]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 9, 2023/ ASVINA 17, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 2023

सं. 74/2023- सीमाशुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 726(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (2) के साथ पठित की उपधारा (1) के खंड (क क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 100/2017-सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 27 अक्टूबर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1347 (अ), दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, निम्नलिखित मद एवं प्रविष्टियों को अतः स्थापित किया जाएगा, यथा :-

क्र.सं.	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	स्थान	उद्देश्य
(1)	(2)	(3)	(4)
"2	गुजरात	ग्राम खजोड़, तालुका मजूरा, जिला सूरत	आयातित माल को उतारना तथा निर्यात माल को चढ़ाना " *

* स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, क्र.सं. 2 पर "माल" का अर्थ है हीरे, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर, मोती, सोने या किसी अन्य कीमती धातु से बने आभूषण, जड़ी के साथ या बिना, पाउडर सहित औद्योगिक हीरे, प्राकृतिक और सिंथेटिक दोनों और सिंथेटिक पत्थर.

[फा.सं. CBIC-50394/214/2021-तस्करी-रोधी खंड-CBEC]

राधे कृष्णा, अवर सचिव

टिप्पणी:- प्रधान अधिसूचना संख्या 100/2017-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 27 अक्टूबर, 2017, सा.का.नि. 1347 (अ), दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2023

No. 74/2023-Customs (N.T.)

G.S.R. 726(E).—In exercise of the powers conferred by clause (aa) of sub-section (1) read with sub-section (2) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 100/2017-Customs (N.T.) dated the 27th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R 1347 (E), dated the 27th October, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, the following item and entries shall be inserted, namely:—

S.No.	State/Union Territory	Places	Purpose
(1)	(2)	(3)	(4)
" 2	Gujarat	Village Khajod, Taluka Majura, District Surat	Unloading of imported goods and loading of export goods" *

* Explanation- For the purposes of this notification, "goods" at S.No. 2 means diamonds, precious and semi- precious stones, pearls, jewellery made of gold or any other precious metal, with or without studding, industrial diamonds including powders, both natural and synthetic and synthetic stones.

[F. No. CBIC-50394/214/2021-Anti Smuggling Section-CBEC]

RADHE KRISHNA, Under Secy.

Note:- The principal notification No.100/2017-Customs (N.T.), dated the 27th October, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1347(E), dated the 27th October, 2017.